

**हिन्दुस्तान**

www.livehindustan.com

अपना बेगूसराय

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की तीन सदस्यीय टीम करेगी स्थल निरीक्षण आठ से अधिक फ्लैट वाले आवासीय प्रोजेक्ट का निबंधन कराना जरूरी

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में बन रहे अपार्टमेंट, आवासीय फ्लैट व निर्माणाधीन बड़े प्रोजेक्टों के बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे अपार्टमेंट से लेकर बड़े प्रोजेक्टों पर रेरा की चाबुक चलेगी।

इसके लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। डीएम के निर्देश पर ही रियल एस्टेट परियोजनाओं में हो रहे निर्माण कार्यों के मद्देनजर रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की तीन सदस्यीय जांच टीम द्वारा गुरुवार को विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया।

जिला प्रशासन के समन्वय से आयोजित इस जांच अभियान का उद्देश्य निर्माण परियोजनाओं में रेरा के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेना है। निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर रेरा की टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

यदि किसी परियोजना में रेरा के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित परियोजना संचालक अथवा बिल्डर के विरुद्ध रेरा के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। रेरा के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सेटेलाइट इमेज एवं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर नगर निगम क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में कई निर्माण परियोजनाओं को चिन्हित किया गया था। इसी क्रम में रेरा की टीमों ने तिलरथ



रेरा के नियम पर अपार्टमेंट बनने के बाद नहीं होगी जलजमाव की समस्या

रेरा निबंधन का उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ फ्लैट खरीदारों एवं निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है। निबंधित परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है तथा निर्धारित

समय-सीमा एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना परियोजना संचालकों के लिए आवश्यक होता है। नगर निगम क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण एवं बसावट से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, विशेषकर जलनिकासी एवं जलजमाव

■ सेटेलाइट इमेज एवं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कई निर्माण परियोजनाओं को चिन्हित किया गया

■ परियोजनाओं में रेरा के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेना है

नगर निगम क्षेत्र में गुरुवार को अपार्टमेंट व बड़े प्रोजेक्टों की जांच के बाद विचार-विमर्श करते नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर व रेरा की जांच टीम में शामिल अधिकारी।

की समस्या को देखते हुए नियोजित एवं नियमसम्मत निर्माण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नियमानुसार निर्माण होने से सड़क, नाली, पार्क, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं के लिए बेहतर नियोजन संभव होता है।

के बीआडा क्षेत्र से लेकर उलाव, सिंघौल, पंचबा, इटवा, रतनपुर, वीएमपी, कपस्या, हररख, श्रीकृष्ण नगर, लाखो तथा लोहियांनगर आइटीआइ मैदान के आसपास सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निर्वाणा सिटी, माधव रेसिडेंसी, कुंज विहार, संगम विहार, साहित्य विहार, आदर्श नगर, न्यू कालोनी नाला रोड, डुमरी, विष्णुपुर चतुर्भुज, मालपुर सहित अन्य स्थानों पर निर्माणाधीन अथवा निर्मित

परियोजनाओं की जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त वास्तुविहार, नाला रोड, नागदह, लक्ष्मी नगर, हररख, आनंदविहार एवं ललिता सागर सहित अन्य क्षेत्रों में भी जांच की गई।

500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए क्यूआर कोड जरूरी: नियमों के अनुसार 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में विकसित की जाने वाली परियोजनाओं तथा आठ से अधिक फ्लैट वाले

आवासीय प्रोजेक्ट के लिए रेरा निबंधन आवश्यक है। निर्माण स्थल पर रेरा निबंधन संख्या एवं क्यूआर कोड का निर्धारित तरीके से प्रदर्शन भी किया जाना है। जांच टीम द्वारा संबंधित परियोजनाओं में इन प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया गया।

जांच टीम में ये लोग शामिल: रेरा की जांच टीम में जिला प्रशासन की ओर से नामित पदाधिकारी भी जांच टीमों के साथ मौजूद रहे।